निवेश मित्र पोर्टल से उद्यमियों को मिलेंगी आनलाइन रियायतें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को सरकार के स्तर से उपलब्ध कराई जाने वाली सभी तरह की छूट व रियायतें निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आनलाइन ही मिलेंगी। निवेश मित्र पोर्टल पर रियायतों के लिए आवेदन करने के साथ ही आनलाइन इन्सेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम अपना काम शुरू कर देगा और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रोत्साहन राशि निवेशकों को आनलाइन ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उद्यमियों को उसे सुधारने के लिए 15 दिन का मौका भी दिया जाएगा। निवेशकों को सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन ही अपना आवेदन देना होगा। 15 अप्रैल से प्रोत्साहन व छूट से जुड़े सभी कार्य केवल आनलाइन इन्सेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ही किए जाएंगे। संबंधित विभाग वेब डेवलपर्स व तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का सहयोग भी ले सकेंगे।